**न्यायालय– मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, हाजीपुर (वैशाली)।**

**परिवाद–पत्र संख्या–412 / 2015**
**विचारण वाद संख्या–185 / 2022**
**खुशबु देवी बनाम हरिश्चन्द्र सिंह एवं अन्य**

**परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ताः– श्री ठाकुर रविशंकर प्रसाद।**

**आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ताः– श्री शिवकान्त झा।**

**13.12.22** प्रार्थी अभियुक्तगण **1. नीलमणि, 2. अमोद चौरसिया** एवं **3. विनोद चौरसिया** की ओर से जमानत आवेदन–पत्र दाखिल किया गया, जिसकी प्रति परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को प्राप्त है। अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

वाद पुकारा गया। विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन–पत्र को चालित करते हुए निवेदन करते हैं कि अभियुक्तगण आज स्वयं न्यायालय में आत्मसमर्पण कर रहे हैं। पैरवी के अभाव के कारण अभियुक्तों का बन्धपत्र दिनांक 16.11.2019 को खण्डित हो गया। अभियुक्तों ने जानबूझकर पूर्व जमानत का दुरूपयोग नहीं किया है। अधिवक्ता लिपिक की गलती के कारण अभियुक्तों का पैरवी नहीं हो सका और उनलोगों का बन्धपत्र खण्डित हो गया। अभियुक्तगण वाद में प्रत्येक नियत तिथि को न्यायालय के समक्ष सदेह उपस्थित रहेगें। अन्य सह–अभियुक्तगण को पूर्व में इस न्यायालय द्वारा जमानत की सुविधा दी गई है। अभियुक्तगण निर्दोष है तथा उचित जमानतदार देने को तैयार है। अतः जमानत दिया जाय।

विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि वाद में अभियुक्तों के विरूद्ध धारा–420, 423, 468 एवं 120(बी) भा0द0वि0 के अन्तर्गत संज्ञान लिया गया है जिसमें धारा–420 एवं 468 भा0द0वि0 के अलावे अन्य धाराएं जमानतीय प्रकृति की हैं। पैरवी के अभाव के कारण अभियुक्तों का बंधपत्र खण्डित हो गया। अभियुक्तगण प्रत्येक नियत तिथि को सदेह उपस्थित रहने की बात कहते हैं। यह वाद परिवाद–पत्र पर आधारित है। सह–अभियुक्तों को पूर्व में इस न्यायालय द्वारा जमानत की सुविधा दी गई है।

अतः अभियुक्त को मो0 5,000 / –(पांच हजार) रूपये के समान राशि के दो प्रतिभुओं के बन्धपत्र दाखिल करने पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित,

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी,

**पश्चात्....**

**13.12.22** उपरोक्त आदेशानुसार उपस्थित अभियुक्तों की ओर से जमानत बन्ध–पत्र के साथ शपथ–पत्र दाखिल किया गया। जिसे जांचोपरान्त सही पाकर **स्वीकृत** किया गया। अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त किया गया।

लेखापित,

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी,

Web Copy not Official